E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1385 / छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 13/07/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति/ स्वीकृति वर्ष 2019–20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 05 छात्र–छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– अजजा नवीनीकरण– स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1255684 खरगोन दिनांक 10.07.2020।

16/7/20

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for ST , Govt P G College Khargone [Category :-ST]

Sanction Order : 1255684 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 10/07/2020 [Renewal Cases]

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./**1255684** खरगोन , दिनांक :-10/07/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृतियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20					
शिक्षण संस्था	:	Govt P G College Khargone					
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार :	Renewal Cases	कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	:	5
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भत्ता	: 17160	2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित		:	27705
		कुल	: 44865				

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओ के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतू प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थीयों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनाक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृति रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है| अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृति के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी |

प्राचार्य
शा.स्वातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 11/07/2020

छात्रवृति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा |

छात्रवृति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी| मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियो को छात्रवृति की पात्रता होगी |

5. शासकीय संस्थओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं | अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणो मे जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों मे आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी|

7. छात्रवृति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले मे) को पो. मैट्रिक छात्रवृति नियमों का भलीभाति जान है एवं उनके द्वारा इस संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है|

8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक मे प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था मे जमा करायी जायेगी | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी |

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- खरगोन
07282-241562
खरगोन , दिनांक :-10/07/2020

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1255684 /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- खरगोन
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/3057/ छात्रवृत्ति/2019 दिनांक 27.12.2019

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/स्वीकृति वर्ष 2019–20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 317 छात्र–छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– अजजा नवीनीकरण– स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस./1231978 खरगोन दिनांक 26.12.2019।

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास.स्नात. महाविद्यालय,खरगोन

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241662

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1231978

खरगोन , दिनांक -26/12/2019

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। बजट आवटन उपलब्ध होने पर योजना अतर्गत देय निम्नानुसार वृतियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र	: 2019-20				
शिक्षण संस्था	: Govt P G College Khargone				
वर्ग	: ST	स्वीकृति प्रकार :	Renewal Cases	कुल लाआन्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	: 317
स्वीकृत राशि	: 1. निर्वाह भत्ता : 1134000	2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित			: 1550385
	कुल : 2684385				

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतू प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थीयों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृति स्वीकृति दिनाक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नही रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है| अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृति के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उतीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241522

4. छात्रवृति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा |

5. छात्रवृति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी| मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियो को छात्रवृति की पात्रता नही होगी |

6. शासकीय संस्थाओ के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रो की छात्रवृति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है | अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणो मे जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों मे आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी|

7. छात्रवृति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले मे) को पो. मैट्रिक छात्रवृति नियमों का भलीभाति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है|

8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक मे प्राप्त होने वाली सस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक सस्था मे जमा करायी जायेगी | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी |

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची |

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- खरगोन
खरगोन , दिनांक :- 26/12/2019

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

प्र.कमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1231978 /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला :- खरगोन

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/1203/ छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 10/6/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति/ स्वीकृति वर्ष 2019–20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 77 छात्र–छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः- अजजा नवीनीकरण– स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1238221 खरगोन दिनांक 20.04.2020।

O/C

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास.स्नात. महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for ST , Govt P G College Khargone [Category :-ST]

Sanction Order : 1238221 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 20/04/2020 [Renewal Cases]

खरगोन , दिनांक :-20/04/2020

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1238221

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोतर छात्रवृति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृतियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20					
शिक्षण संस्था	:	Govt P G College Khargone					
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार :	Renewal Cases	कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	:	77
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भता : 257520		2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित		:	477405
		कुल : 734925					

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओ के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतू प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थीयों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृति स्वीकृति दिनाक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृति के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी ।

प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 06/05/2020

4. छात्रवृति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा |

5. छात्रवृति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी| मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियो को छात्रवृति की पात्रता नहीं होगी |

6. शासकीय संस्थओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं | अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणो मे जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों मे आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी|

7. छात्रवृति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले मे) को पो. मैट्रिक छात्रवृति नियमों का भलीभाति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है|

8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक मे प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था मे जमा करायी जायेगी | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी |

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला : खरगोन

खरगोन , दिनांक :-20/04/2020

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**1238221** /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला : खरगोन

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1202 / छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति/ स्वीकृति वर्ष 2019–20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 13 छात्र–छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– अजजा नवीनीकरण– स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1246433 खरगोन दिनांक 01.06.2020।

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन
खरगोन
07282-241562

खरगोन , दिनांक :-01/06/2020

स्वीकृति आदेश क्रं./आ.जा.का./पी.एम.एस./**1246433**

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृतियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20					
शिक्षण संस्था	:	Govt P G College Khargone					
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार :	Renewal Cases	कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	:	13
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भत्ता	: 49560	2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित		:	73485
		कुल	: 123045				

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओ के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतू प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थीयों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृति स्वीकृति दिनाक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृति रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृति के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उतीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी ।

4. छात्रवृति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा |

5. छात्रवृति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी| मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियो को छात्रवृति की पात्रता नहीं होगी |

6. शासकीय संस्थओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं | अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणो मे जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों मे आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी|

7. छात्रवृति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले मे) को पो. मैट्रिक छात्रवृति नियमों का भलीभाति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है|

8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक मे प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था मे जमा करायी जायेगी | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी |

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची |

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला - खरगोन
खरगोन, दिनांक : 01/06/2020

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**1246433** /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

हस्ताक्षर एवं पद्मुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला - खरगोन

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1201 / छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति/ स्वीकृति वर्ष 2019–20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 02 छात्र–छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– अजजा नवीनीकरण– स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1244678 खरगोन दिनांक 20.04.2020।

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन
07282-241562

cc

शास. स्नात. महाविद्यालय खरगोन

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./**1244678** खरगोन , दिनांक :-20/04/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोतर छात्रवृति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृति स्वीकृत की जाती है। बजट आवटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृतियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र	:	2019-20					
शिक्षण संस्था	:	Govt P G College Khargone					
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार :	Renewal Cases	कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	:	2
स्वीकृत राशि	:	1. निर्वाह भत्ता	: 9960	2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित		:	7170
		कुल	: 17130				

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओ के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतू प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थीयों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृति स्वीकृति दिनाक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृति रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है| अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृति के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी |

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

4. छात्रवृति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा |

5. छात्रवृति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी| मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियो को छात्रवृति की पात्रता नहीं होगी |

6. शासकीय संस्थओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं | अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणो मे जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों मे आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी|

7. छात्रवृति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले मे) को पो. मैट्रिक छात्रवृति नियमों का भलीभाति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है|

8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक मे प्रास होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था मे जमा करायी जायेगी | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी |

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला खरगोन.

खरगोन , दिनांक :-20/04/2020

प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**1244678** /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला खरगोन

प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी)महाविद्यालय,खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1200 / छात्रवृत्ति/2020 दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :– अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति/ स्वीकृति वर्ष 2019–20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र् 2019–20 में नियमित रुप से अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति नवीनीकरण 01 छात्र–छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– अजजा नवीनीकरण– स्वीकृति आदेश क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/1245390 खरगोन दिनांक 02.05.2020।

डॉ. आर.एस. देवड़ा
प्राचार्य
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन
07282-241562

d/c

Government of Madhya Pradesh

Post Metric Scholarship for ST , Govt P G College Khargone [Category :-ST]

Sanction Order : 1245390 For Academic Year : 2019-20 , Sanction Date : 02/05/2020 [Renewal Cases]

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./**1245390** खरगोन , दिनांक :-02/05/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृतियों की स्वीकृत राशि, विद्यार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र : 2019-20

शिक्षण संस्था : Govt P G College Khargone

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 3600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 8505

कुल : 12105

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओ के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतू प्रस्ताव विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति विद्यार्थीयों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृति स्वीकृति दिनाक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है| यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृति रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है| अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृति का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृति के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी |

Generated By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

Locked By: Govt P G College Khargone
Designation: District Co-Ordinator

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 06/05/2020

4. छात्रवृति स्थाई जाती प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है यह उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख/नोडल संस्था प्रमुख का होगा |

5. छात्रवृति स्वीकृति से पूर्व विद्यार्थी के पिता/ अभिभावक के व्यवसाय एवं आय की पुष्टि संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी| मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियो को छात्रवृति की पात्रता नहीं होगी |

6. शासकीय संस्थओं के संस्था प्रमुख अपने संस्था के छात्रों की छात्रवृति स्वयं स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है | अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की स्वीकृति नोडल शासकीय संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर नवीन प्रकरणो मे जिले के कलेक्टर द्वारा एवं नवीनीकरण के प्रकरणों मे आदिम जाती कल्याण विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी|

7. छात्रवृति की उक्त स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संबंधित संस्था प्रमुख एवं नोडल संस्था प्रमुख (अशासकीय संस्थाओं के मामले मे) को पो. मैट्रिक छात्रवृति नियमों का भलीभाति ज्ञान है एवं उनके द्वारा इस संबंध मे शासन द्वारा समय - समय पर जारी समस्त नियम निर्देशों का स्वीकृति से पूर्व पालन किया गया है|

8. विद्यार्थी के वैधानिक खाता क्रमांक मे प्राप्त होने वाली संस्था की शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्क विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्था मे जमा करायी जायेगी | यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी वर्ष की छात्रवृति विद्यार्थी के द्वारा संस्था को शिक्षण शुल्क जमा कराने के बाद ही स्वीकृत की जावेगी |

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची |

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला : खरगोन
खरगोन , दिनांक : 02/05/2020

प्राचार्य
शा. इन्दिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

प्र.क्रमांक/आ.जा.का./पी.एम.एस/**1245390** /

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला:- खरगोन
3. प्राचार्य, Govt P G College Khargone

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला : खरगोन

प्राचार्य
शा. इन्दिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562